

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों का विवरण

| क्र.           | जिला   | क्षेत्र का विवरण                        | अधिसूचना दिनांक/<br>क्रमांक            | अभियुक्ति   |
|----------------|--|---|--|---|
| <b>आयरन ओर</b> |  |   |  |   |
| 1              | पूर्ववर्ती बस्तर<br>(वर्तमान में<br>बस्तर,<br>बीजापुर,<br>कांकेर,<br>दंतेवाड़ा एवं<br>नारायणपुर)<br>पूर्ववर्ती दुर्ग<br>(वर्तमान में<br>दुर्ग,<br>राजनांदगांव,<br>कबीरधाम) | बैलाडीला<br>रावघाट<br>दल्ली<br>कोदापाखा | 11901-6815 / XII,<br>दिनांक 20.12.1961 | These iron ore areas are reserved for exploration of the mineral in the Public Sector   |
| 2              | पूर्ववर्ती बस्तर<br>(वर्तमान में<br>बस्तर,<br>बीजापुर,<br>कांकेर,<br>दंतेवाड़ा एवं<br>नारायणपुर)   | आरी डोंगरी<br>चारगांव                   | 1257-602 / XII,<br>दिनांक 14.2.1962    | Ari Dongri and Chargaon deposit of iron ore in Bastar District of this state are also reserved for exploration of the mineral in the Public Sector  |
| 3              | संपूर्ण राज्य  | —                                       | 6616 / 6176 / 12,<br>दिनांक 2.12.1971  | एनएमडीसी अथवा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई को लौह अयस्क/आयरन ओर के लिए एमएल/पीएल प्रदानिधि क्षेत्रों को छोड़ राज्य के समस्त लौह अयस्क के क्षेत्र राज्य शासन द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित संस्थान द्वारा खनन करने के लिए सुरक्षित किए हैं |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 4 | <p>पूर्ववर्ती बस्तर<br/>(वर्तमान में<br/>बस्तर,<br/>बीजापुर,<br/>कांकेर,<br/>दंतेवाड़ा एवं<br/>नारायणपुर)<br/>दुर्ग</p> | — | <p>3/122/1979/<br/>XII, दिनांक<br/>2.2.1981</p> | <p>1. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6616/6176/12, दिनांक 2.12.1971 द्वारा खनिज आयरन ओर का समस्त क्षेत्र सुरक्षित किया गया था। अतः राज्य शासन द्वारा जिला दुर्ग तथा बस्तर जिले में प्राप्त लौह अयस्क क्षेत्र को छोड़कर शेष समस्त जिलों के आयरन ओर क्षेत्र को असुरक्षित किया जाता है ।</p> <p>2. जिला दुर्ग तथा बस्तर में लौह अयस्क हेतु अन्य निजी प्रतिष्ठानों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जावेगा जो इस आवेदन के आधार पर उद्योग की स्थापना करके यदि पट्टा प्राप्त करने के इच्छुक हों ।</p> |
|---|---|---|---|---|

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH.  
NATURAL RESOURCES DEPARTMENT.

NOTIFICATION

Bhopal, dated the 20th December, 1961  
Agrahayana, 1983.

No. 11901-6015/XII. It is hereby notified for the information of the public that the following manganese and iron ore bearing areas in this State are reserved for exploitation of the mineral in the public sector -

| <u>Name of the district</u> | <u>Name of the block</u>    | <u>Name of mineral</u>                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Balaghat.                   | Block No. 1-Ukwa            | Manganese                              |
| -do-                        | "                           | 2-Jagantola<br>Gondi -do-              |
| -do-                        | "                           | 3-Bharwoli -do-                        |
| -do-                        | "                           | 4- Tirodi -do-                         |
| -do-                        | "                           | 5- Garrah<br>Mirzapur-<br>Tuyapar -do- |
| Chhindwara                  | Block No. 6- Gowari Wadhonn |  |
| Bastar                      | "                           | 1-Badladila Ironoreg.                  |
| -do-                        | "                           | 2- Raughat -do-                        |
| Durg                        | "                           | 3- Dhalli -do-                         |
| Bastar                      | "                           | 4- Kondapakha -do-                     |

The details about the area reserved and the maps can be inspected in the office of the Director of Geology and Mining and Collector concerned.

By order and in the name  
Governor of Madhya Pradesh  
Sd/- B.V. Das  
Deputy Secretary to Government  
Madhya Pradesh  
Natural Resources Department..

Dewangan/

No. 602/XII  
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
NATURAL RESOURCES DEPARTMENT.

Bhopal, dated the 16th February, 1962  
Bh. 1003

NOTIFICATION

No. 1257-602/XII. In continuation with this department's notification No. 11901-6015/XII dt. 20th December, 1961 it is hereby notified for the information of the public that the ardongri and Charnon deposits of iron ore in the Bastar district of this State are also reserves for exploitation of the mineral on the public sector.

The details about the area concerned with iron ore can be inspected in the office of the Director of Geology and Mining, Madhya Pradesh, Bhopal as Collector concerned.

By order and in the name of  
the Government of Madhya Pradesh  
Sd/- D.V. Das  
Deputy Secretary to Government  
Madhya Pradesh  
Natural Resources Department.

No. 1256-603/XII,

Bhopal, dated the 14th Feb. 1962  
Bh. 1003

Copy forwarded to the Superintendent, Govt. Central Press, Bhopal for favour of publication in the next issue of the State Gazette.

Copy forwarded to the Collector, Bastar, for information and necessary action.

Copy forwarded to the Commissioner, Raipur for information and necessary action.

Copy forwarded to the Director of Geology and Mining, Madhya Pradesh, Bhopal for information and necessary action with a copy to the Collector, Bastar with a copy to the Commissioner, Raipur for information and necessary action.

1- मध्य प्रदेश राजपत्र 2-12-71 भाग 1 में प्रकाशित :-

मध्य प्रदेश शासन,  
वैसायिक मंत्रालय विभाग

भोपाल दिनांक 2-12-71

अ धि सु च ना

क्रमांक 6616/6176/12 तर्ज साधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है कि राज्य शासन ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शक्ति विद्युत निगम अथवा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, मिलार्ल को लोह अपस्क : आयरन ओर : के लिये खनिजपट्टे तथा पूर्वक्षण अनुक्षण में प्रदानिधि क्षेत्रों से छोड राज्य के समस्त लोह अपस्क के क्षेत्र तथा बालापाट जिले का मलानग्रंड का तांवे का क्षेत्र में राज्य शासन द्वारा स्वतं अथवा उसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित संस्थान द्वारा खनन करने के लिये सुरक्षित किये है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार  
क: विजय शंकर, जय राधे  
वैसायिक मंत्रालय विभाग

क्रमांक 7130/6176/12

भोपाल दिनांक 29/12/71

प्रतिनिधि :-

- 1/ संचालक मंडली तथा प्रोबल मध्य प्रदेश भोपाल ।
  - 2/ कलेक्टर, जिला बालापाट, मध्य प्रदेश ।
  - 3/ कलेक्टर, जिला बालापाट मध्य प्रदेश ।
- की ओर अशेषित ।

सही/असाष्ट  
विजय शंकर,  
आदेशानुसार,  
वैसायिक मंत्रालय विभाग

55  
55  
55  
प्रतिनिधि //

मध्य प्रदेश शासन  
अग्निज साधन विभाग  
=0=

अभिलेखना

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 1981

प्रकारियों अध.


विषयका संकीर्ण

न.संभ.


अंशक-3/122/79/x11, सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस विभाग का अधिलेखना क्रमक 6616/6176/x11, दिनांक 2-12-71 द्वारा आधरण और (लीहजअस्क) का समस्त क्षेत्र सुरक्षित किया गया है। अब राज शासन द्वारा जिला दुर्ग तथा बस्तर जिले में प्राप्त लोह अस्क क्षेत्र को लोकरा क्षेत्र समस्त जिलों में आधरण और क्षेत्र को अतुरक्षित किया जाता है।

2/- जिला दुर्ग तथा बस्तर में लोह अस्क हेतु अथ निजि प्रतिष्ठानों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो इस अग्निज के आधार पर अद्वैत की स्थापना करके अग्नि पट्टा प्राप्त करने के इच्छुक हो।

मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति के नाम से तथा  
अदेशानुसार,

  
(सुकुमल चंद्र वर्धन)  
उप सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
अग्निज साधन विभाग.

पृष्ठ 0 3/122/79/x11, भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 1981  
प्रतिलिपि:- 1/ नियंत्रक शासन, मुख्यलय मध्यप्रदेश भोपाल को और राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ.  
2/ समस्त कमिश्नरस मध्यप्रदेश.  
3/ समस्त जिलाधर मध्यप्रदेश.  
4/ संचालक, भूमिहीन तथा अनिकर्म, मध्यप्रदेश, रायपुर.  
5/ पूर्वध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य अग्निज निगम ई 1/2 अंश - भोपाल की कोर सूचनाथ अर्पित।

  
(देवेन्द्र मोहर)  
अवर सचिव  
अग्निज साधन विभाग.

दिनांक/1.2.80